

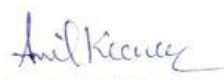
विषय:- डायवर्जन ऑफ 3.92 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या एफपी/आरजे/ट्रांस/29091/2017 बाबत ।

संदर्भ:- ई.डी.एस.-2 दिनांक 12.12.17 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त प्रस्ताव में दिनांक 12.12.17 को जारी ई.डी.एस. का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार है :-

क्र.स.	विवरण	उत्तर
1	बिंदु संख्या 1 कि पालना के क्रम में प्रस्ताव के फॉर्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या B-1 में अंकित प्रस्ताव में डिमांड नोट जारी किया जा चुका है एवं ई- चालान भी सर्जित किया जा चुका है ।पूर्ण पालना किया जाना अभी भी अपेक्षित है ।	अंकित प्रस्ताव में उप वन संरक्षक द्वारा जारी डिमांड नोट राशी ई-चालान से जमा करायी गई व अन्य पालना प्रक्रियाधीन है ।
2	बिंदु संख्या 3 कि पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के फॉर्म ए के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-b (ii) में यूजर एजेंसी द्वारा सलंगन कि गई KML file polygon shape में नहीं है । इसके अतिरिक्त DGPS map में भी एक ही सेगमेंट (अजमेर) का दिया गया है जो दोनों सेगमेंट (अजमेर एवं नागौर) का दिया जाना प्रस्तावित है ।	KML file polygon shape में सलंगन कर दी गयी है तथा दोनों सेगमेंट (अजमेर एवं नागौर) का DGPS map भी सलंगन कर दिया गया है ।
3	बिंदु संख्या 5 क्रम में यूजर एजेंसी द्वारा सिवाय चक भूमि आने के कारण जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र कम करके प्रमाण पत्र जारी किया गया है । पारेषण लाइन को डिजिटल खसरे पर अंकन कराया जाकर सही स्थिति का मालूम किया जाना प्रस्तावित है ।	उल्लेख है कि खसरा संख्या 23/2476 एवं 69 की सिवाय चक भूमि आने के कारण जिला कलेक्टर द्वारा क्षेत्र कम करके प्रमाण पत्र जारी किया गया है। खसरा संख्या 23/2476 एवं 69 की जमाबंदी सलंगन है । पारेषण लाइन / वन सीमा को राजस्व खसरा मेप पर अंकन कर सलंगन कर दिया गया है ।
4	बिंदु संख्या 6 कि पालना के क्रम में संशोधित बार चार्ट स्केल पर नहीं होने के कारण संशोधन कराया जाना प्रस्तावित है	संशोधित बार चार्ट सलंगन कर दिया गया है ।

अतः उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ।


(A. K. SINGHAL)
Executive Engineer (T&C)
RVPNL, Ajmer.